

1854/02-07-2021

दिनांक-30.06.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक के मुख्य बिन्दु:-

1. **मानचित्रों की बिक्री एवं Home Step Delivery**:- विभिन्न जिलों में अधिष्ठापित प्लॉटों के माध्यम से सभी अंचलों को प्राप्त होने वाले मानचित्रों के सम्बन्ध में अंचलों से 15 दिनों में यह प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाए कि किन-किन ग्रामों का मानचित्र अंचल को उपलब्ध है। जिन ग्रामों या चादरों का मानचित्र उपलब्ध नहीं है उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अंचलों को भी मानचित्र रखने वाले कन्टेनर उपलब्ध करा दिए जाए। मानचित्रों की Home Delivery 9 या 12 जुलाई से प्रारंभ किया जाए। A4 साईज में नक्शा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रैयतों को उपलब्ध कराया जाना है, उसके लिए यथाशीघ्र कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। रैयतों को तीन तरीकों से उपलब्ध कराए जाने वाले मानचित्र के सम्बन्ध में प्रत्येक तरीके से प्लॉट के माध्यम से, A4 साईज का और होम डिलिवरी, के सम्बन्ध में विज्ञापन स्पष्ट रूप से तैयार कर प्रकाशित किए जाए। N.I.C द्वारा A4 साईज में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रैयतों को उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी डेमो को दिनांक-07.07.2021 की समीक्षात्मक बैठक में उपस्थापित किया जाएगा।

बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग में सर्वेक्षण का Archives Museum तैयार करने के सम्बन्ध में EOI (Expression of Interest) आमंत्रित किया जाए। EOI एक सप्ताह में तैयार करना सुनिश्चित किया जाए। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय में एक आधुनिक अभिलेखागार भवन बनाने का सुझाव दिया गया।

मानचित्रों की बिक्री से संबंधित MIS को दैनिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया जाए मानचित्रों की दैनिक बिक्री को प्रतिदिन (अवकाश छोड़कर) MIS में संधारित करने के लिए जिलों को प्रपत्र उपलब्ध करा दिया जाए। गुलजारबाग में मानचित्र विक्रय के लिए बनाए जाने वाले अतिरिक्त कोंउन्टरो के निर्माण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव के माध्यम से छोटे-छोटे निर्माण कार्य को विभाग/निदेशालय स्तर से करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया जाए।

2. **MRR की स्थिति**:- 15 जुलाई से क्रियान्वित किए जाने वाले आधुनिक अभिलेखागार भवनों में रखे जाने वाले अभिलेखों यथा इत्यादि के सम्बन्ध में वैसे अभिलेखों यथा दाखिल खारिज सम्बन्धी नापी सम्बन्धी अभिलेख इत्यादि को चिन्हित कर लिया जाए, जिनकी आवश्यकता आम रैयतों को वर्तमान में सबसे ज्यादा होती है। बेल्ट्रॉन से प्राप्त होने वाले डाटा इंटी ऑपरेटर के संबंध में बेल्ट्रॉन से सतत समन्वय बनाकर रखा जाए। वैसे अंचलों में जहाँ आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्मित हो चुका है, किन्तु आवंटन नहीं दिया गया है, उन्हें एक सप्ताह के अंदर आवंटन उपलब्ध कराया जाय।

आधुनिक अभिलेखागार भवन से प्राप्त होनेवाली सेवाओं के संबंध में आम जनता को अवगत कराने के लिए प्रत्येक MRR के बाहर होर्डिंग लगाए जाए एवं पोस्टर इत्यादि के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

3. **GIS Expert Agency**:- इस सम्बन्ध में पूर्व से तैयार किए गए RFP के स्थान पर आगामी बैठक के पूर्व EOI (Expression of Interest) तैयार कर इस कार्य के लिए इच्छुक एजेंसियों को आमंत्रित किया जाए।

4. **Spatial Mutation**:- Pre-Mutation Sketch Map तैयार करने के लिए संबंधित अधिनियम एवं नियमावली में किए जाने वाले संशोधन संबंधी प्रस्ताव दिनांक-01.07.2021 को संचिका में उपस्थापित किया जाए। इससे संबंधित आवश्यक सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए N.I.C से अनुरोध किया जाए।

5. **Govt. Land List**:- विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त होनेवाली भूमि की विवरणी के सम्बन्ध में प्रत्येक सप्ताह विभागवार प्रतिवेदन प्रत्येक विभाग को एक सामान्य प्रारूप में संघारित कर उपलब्ध कराया जाए। प्रतिवेदित सप्ताह में जिन विभागों की प्रगति शून्य पाई जाए उनका अनुश्रवण अलग से किया जाए।

6. **Ads in Pipeline**:- श्री राजेश कुमार सिंह, स0ब0प0-सह-नोडल पदाधिकारी, सूचना, शिक्षा और संचार द्वारा राजस्व विभाग एवं सभी निदेशालयों में हो रहे कार्य की प्रगति संबंधी समाचार एवं विज्ञापन दैनिक आधार पर समाचार पत्रों में देना सुनिश्चित करेंगे। विशेष सर्वेक्षण से संबंधित विज्ञापनों के सम्बन्ध में जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य से आम जनता को अवगत कराने के लिए अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग छोटे-छोटे विडियो क्लिप तैयार करवाए जाएं और इन विडियो को निदेशालय के YouTube चैनल पर एवं इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों में प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाए। विडियो क्लिप के समाचार चैनल पर प्रसारित होने पर 5,000 रुपये एवं केवल निदेशालय के YouTube पर प्रसारित होने की स्थिति में 3,000 रुपये भुगतान करने पर विचार किया जाए।

7. **GIS MIS Reports**:- विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया में GIS के MIS प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सबसे खराब और सबसे ज्यादा प्रबुद्धि करने वाले दो-दो जिलों का प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाए।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जय सिंह)

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: - 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019-1854 पटना, दिनांक :- 02-03-2021
प्रतिलिपि:- उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: - 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019-1854 पटना, दिनांक :- 02-03-2021
प्रतिलिपि:- श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, सूचना, शिक्षा एवं संचार, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: - 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019.....1854..... पटना, दिनांक :-02-07-2021
प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0
सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाण, निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: - 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019.....1854..... पटना, दिनांक :-02-07-2021
प्रतिलिपि:- सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं
परिमाण निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक: - 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019.....1854..... पटना, दिनांक :-02-07-2021
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण